

5/6/24

प्रावली पेश डडी वाडी व कीप्राडी
अनुपस्थित। एकदम में वाडी व उनके
आचरण को सिविल कब मरका
आपान लगाई किन्तु कोडे अपस्थित
नही होने से वाडी के वाड को
अहम-हाजरी अहम-पेडी में खाडी
किया जात है। मुल वाड के साथ प्रो
पत्र नं. 609/2013 उपलब्ध न्यायालय
माण्डल के उज नम्बर व हाल न्यायालय
के मुनं. 50/17 में पूर्व में जारी आन्तरी
निषेधाज्ञा को मुल वाड के निराला
तक कन्फर्म किया गया किन्तु आज

उपस्थित अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेंडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तार अहकाम जो हुक्म की तार में जारी हु
	<p>दिनांक 05/06/2024 को मुल वाड का अहम-हाजरी अहम पेडी में खाडी हो जाने से प्रोपत्र 5PM न्यायालय माण्डल के प्रो स. 609/13 हाल न्यायालय करेड के प्रो स. 50/17 में जारी खाडी निषेधाज्ञा को खल निराल माना जावे फलसी फंसल शुमार होकर उज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p> <p style="text-align: right;">उपस्थित अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेंडा</p>	